

लोक निर्माण विभाग (आयोजनागत)
वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 83 हेतु बजट प्राविधान तथा जारी स्वीकृतियों का विवरण

क्र० सं०	मद का नाम	लेखाशीर्षक (15 अंकीय बजट कोड)	वर्ष 2015-16 हेतु मूल बजट प्राविधान	वर्ष 2015-16 में अनुपूरक से प्राप्त धनराशि	वर्ष 2015-16 में पुनर्विनियोग से प्राप्त/हस्तान्तरित धनराशि	वर्ष 2015-16 हेतु बजट प्राविधान पुनर्विनियोग सहित	शासन द्वारा निर्गत स्वीकृतियों	विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत आवंटन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
स्पेशल कम्पोजेन्ट प्लान									
1	समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5054-04-789-08-00-24	100.0000			100.0000	6.3178	6.3178	
2	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5054-04-789-10-00-24	30.0000		-25.0000	5.0000	0.0000	0.0000	
3	कृषि विपणन के लिये मार्गों/लघु सेतुओं का पुर्ननिर्माण/चौड़ीकरण/जीर्णोद्धार/उच्चिकरण के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5054-04-789-11-00-24	20.0000			20.0000	0.0000	0.0000	
4	राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के कार्यों हेतु	5054-03-789-03-00-24	107.6786			107.6786	107.6786	107.6517	
5	जिला मुख्यालय को 04 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के कार्य हेतु	5054-04-789-12-00-24	200.0000	42.4200		242.4200	188.4376	188.4376	
6	जिला मुख्यालय को 04 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु	5054-04-789-25-00-24	25.0000	21.2100		46.2100	4.4600	4.4600	
7	राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु	5054-04-789-13-00-24	107.6786		-40.3800	67.2986	53.8393	53.8393	
8	राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5054-03-789-05-00-24	2.6920		40.3800	43.0720	37.9600	35.9700	
9	राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था	5054-03-789-06-00-24	26.9197			26.9197	6.2800	6.2800	
10	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)	5054-04-789-14-00-24	174.9778			174.9778	174.9778	174.0937	
11	ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य (नये कार्य)	5054-04-789-20-00-24	13.4598			13.4598	2.1400	2.1400	
12	रेलवे उपरिगामीण/अधोगामी सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)	5054-04-789-15-00-24	107.6786			107.6786	107.6786	107.6786	
13	रेलवे उपरिगामीण/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	5054-04-789-19-00-24	13.4598			13.4598	9.6100	8.6500	
14	नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)	5054-04-789-16-00-24	45.8634			45.8634	45.8634	45.8634	
15	नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण	5054-04-789-21-00-24	13.4598			13.4598	0.0000	0.0000	
16	समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5054-04-789-22-00-24	0.0001		20.0000	20.0001	12.9936	12.9936	
17	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5054-04-789-23-00-24	0.0001		5.0000	5.0001	4.9983	4.9983	
18	कृषि विपणन के लिये मार्गों/लघु सेतुओं का पुर्ननिर्माण/चौड़ीकरण/जीर्णोद्धार/उच्चिकरण के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5054-04-789-24-00-24	0.0001			0.0001	0.0000	0.0000	
योग			988.8684	63.6300	0.0000	1052.4984	763.2350	759.3740	